निर्वाचक सूची का संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम

EASY REGISTRATION, EASY CORRECTION
सहज पंजीकरण, सहज संशोधन

- दिनांक 01.01.2015 की अर्हता तिथि के आधार पर निर्वाचक सूची का संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी है। वैसे व्यक्ति जिनका उम्र निर्धारित तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक है और वे सामान्य तौर पर वहाँ के निवासी हैं तो अपना नाम निर्वाचक सूची में प्रररुप – 6 में आवेदन बी0एल0ओ0 को देकर जुड़वा सकते हैं।
- कोई अप्रवासी भारतीय यदि अपना नाम निर्वाचक सूची में दर्ज कराना चाहते है तो प्रारूप – 6क में अपना आवेदन अपने निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के कार्यालय में जमाकर निर्वाचक सूची में नाम जुड़वा सकते हैं।
- एक व्यक्ति का नाम निर्वाचक सूची में केवल एक जगह पर दर्ज रहेगा। अतएव वैसे व्यक्ति जिनका नाम एक से अधिक स्थानों पर दर्ज है तो वे प्रारूप – 7 में बी0एल0ओ0 को आवेदन देकर अपना दोहरी प्रविष्टि अवश्य ही हटवा लें। यदि कोई व्यक्ति मृत/स्थानांतरित हो गया है तो उस भाग क्षेत्र से संबंधित कोई भी निर्वाचक ऐसे नामों को निर्वाचक सूची से हटवाने हेतु प्रारूप में आवेदन बी0एल0ओ0 को दे सकता है।

  मतदाता सूची में एक से अधिक स्थान पर नाम होना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 31 के अनुसार दंडनीय अपराध है। इसके लिए एक साल की कैद अथवा जुर्माना अथवा दोनो की सजा हो सकती है।
- किसी व्यक्ति के नामों के प्रविष्टि विशेष अथवा फोटो में यदि संशोधन की आवश्यकता हो तो वे प्रारूप – 8 में बी0एल0ओ0 को आवेदन देकर प्रविष्टि विशेष में संशोधन करा सकते है।
- यदि कोई व्यक्ति एक ही विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रन्तर्गत एक भाग क्षेत्र से दूसरे भाग क्षेत्र में स्थानांतरित हो गये हैं तो वे प्रारूप – 8क में आवेदन बी0एल0ओ0 को देकर निर्वाचक सूची में नाम स्थानांतरित करा सकते हैं।
- उपर्युक्त संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत दावे एवं आपत्ति दिनांक 15.05.2015 से 13.06.2015 के बीच प्राप्त किया जायेगा। यह आवेदन संबंधित बी0एल0ओ0 के अतिरिक्त सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (प्रखंड विकास पदाधिकारी)/निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के कार्यालय में भी दिया जा सकता है।
- निर्वाचक सूची में नामों को जोड़ने/विलोपित करने/संशोधित करने हेतु दो विशेष शिविर भी लगाये जायेंगे। प्रथम दिनांक 24.05.2015 एवं द्वितीय दिनांक 07.06.2015 की तिथि निर्धारित की गई है। इस विशेष शिविर के दिन सभी बी0एल0ओ0 निर्वाचक सूची की प्रारूप प्रति एवं सभी आवश्यक प्रारूपों के साथ अपने संबंधित मतदान केन्द्रों पर 10:00 बजे पूर्वाह्न से 05:00 बजे अपराह्न तक उपस्थित रहेंगे।
- उपर्युक्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के साथ ही सभी निर्वाचक अपने ईपिक डाटा (मतदाता फोटो पहचान पत्र संख्या) को आधार कार्ड से भी लिंक करा सकते हैं। आधार संख्या के संग्रहण हेतु चेकलिस्ट की प्रति सभी बी0एल0ओ0 के पास उपलब्ध रहेगी।
- निर्वाचक अपने मोबाईल नं0 एवं ई–मेल आई0डी0 को निर्वाचक सूची के डाटाबेस से जरूर जुड़वायें ताकि उन्हें मतदान दिवस की सूचना, मतदाता सूची की पुनरीक्षण संबंधी गतिविधियों की जानकारी (शुद्धिकरण/विलोपन) एवं अन्य फैसीलिटेशन सेवाएँ समय–समय पर उपलब्ध कराई जा सके।
- NERPAP के तहत निर्वाचक सूची डाटा बेस में आधार नं0, मोबाईल नं0/ई–मेल आई0डी0 जोड़ने का कार्य प्रारम्भ है।
- उपर्युक्त वर्णित सुविधाएँ बी0एल0ओ0/सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (प्रखण्ड कार्यालय)/निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (अनुमंडल कार्यालय) के अतिरिक्त समाहरणालय, मुंगेर परिसर में स्थित कॉमन सर्विस सेन्टर (CSC) से भी निर्धारित शुल्क जमा करने के उपरान्त प्राप्त की जा सकती है।
- ईपिक और आधार कार्ड की फोटो प्रति के साथ विधिवत रूप से भरे हुए फॉरमेट (अनुबंध–क) की हार्ड कॉपी में आधार संख्या एवं ईपिक संख्या विवरण प्रस्तुत कर अपने ईपिक डाटा को आधार कार्ड से लिंक करा सकते हैं।